राजस्व रिकोर्ड अनुसार मौजा धारणा के खेत खसरा नम्बर 64, 1149/64, 69 (खाता संख्या 668, 680) कुल रकबा 3.0180 हैक्टेयर श्यामाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल सा. देह के नाम दर्ज है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड इत्यादी में श्यामाराम और श्याम लाल दोनो एक हि व्यक्ति के दो नाम है। अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में मौजा डेह के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 769 की जमा बंदी की नकल जिसमे प्रार्थी का जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम के स्थान पर जगदीश पुत्र डालूराम दर्ज है, पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराय किया तथा मौजा डेह के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 769 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम के स्थान पर जगदीश पुत्र डालूराम दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा डेह के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 769 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्राथी का नाम श जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम के स्थान पर जगदीश पुत्र डालूराम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) डेह के खाता संख्या 769 के खसरा नम्बर 1078 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 रकबा 1.4569 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 2.7114 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 1.8211 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1914 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1915 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2737/1079 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा डेह के खाता संख्या 769 के खसरा नम्बर 1078 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 रकबा 1.4569 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1085/1900 रकबा 2.7114 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 1.8211 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1914 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087/1915 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2737/1079 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम जगदीश पुत्र डालूराम के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम दुरूस्त किया जाता है। उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 23/9/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner